'कांग्रेस के पास गहलोत का अनुभव, पायलट जैसे युवा नेता भी, भाजपा बिखरी हुई पार्टी'

यह कहकर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को एकजुट दर्शाने का प्रयास किया

दौसा/जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा जिले के सिकराय में शुक्रवार को ईआरसीपी जन जागरण अभियान के के जरिए राजस्थान में कांग्रेस का चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी पर मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की है। वहीं, उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए नया नारा देते हुए कहा कि इनकी नीति है केवल गरीबों से खींचना और उद्योगपतियों को सींचना। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने भाजपा को बिखरी हुई पार्टी बताया और कांग्रेस की एकजुटता दर्शाते हुए कहा कि मंच पर देख सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से एकजुट मौजूद हैं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि ईआरसीपी केवल एक नहर परियोजना नहीं है। ये दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और पीएम की ओर से इस परियोजना पर केवल जुमलेबाजी होती है। केंद्र की सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है, उद्योगपतियों की जेब भर रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका ध्यान आपकी भलाई पर नहीं है। इनका ध्यान केवल किस तरह से सत्ता में रहना है और किस तरह खुद को मजबूत करें, इस पर है। उन्होंने कहा कि इनकी केवल यही नीति है कि गरीबों से खींचना और उद्योगपतियों को सींचना। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है।

प्रियंका गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में पीएम कहते हैं कि मेरे नाम पर वोट दें, तो क्या पीएम का पद छोड़कर सीएम बनने वाले हैं। उन्हें पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा है? उन्होंने आमजनता से कहा कि उनसे पूछिए कि पिछले 10 साल में कितनी योजनाएं दी हैं राजस्थान में सरकार रहते हुए।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा जिले के सिकराय में शुक्रवार को ई.आर.सी.पी. जन जागरण अभियान के जरिये राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा एक बिखरी हुई पार्टी है, जिसमें एकजुट होने का नामोनिशान नहीं हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मंच पर बैठी है। राजस्थान में सीएम गहलोत का अनुभव है, जो आपके लिए दिन-रात एक कर ऐसी योजनाएं लाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका जीवन सफल और सुनहरा हो। दूसरी तरफ सचिन पायलट जैसे युवा नेता हैं, जो आपके भविष्य की तरफ देखते हुए रोज मेहनत करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए समर्पित है और चाहती है कि राजस्थान मजबूत बने और उसका विकास हो। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान का रिवाज बदल दें और कांग्रेस सरकार को दोबारा चुनने के लिए अपना वोट आंख खोल कर दें।

उन्होंने कहा कि अब आप पर है कि आप कौन सी राजनीति चुनना चाहते हैं। वह राजनीति जो चुनाव के समय केवल जज्बात और धर्म की बात करे या ऐसी राजनीति जो सुबह से शाम तक काम करने की बात करें, आपके जीवन के मुश्किल को कम करने की बात करें। सभा के बाद प्रियंका गांधी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी पहुंचीं।

इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार रिपीट नहीं होती है और भाजपा सत्ता में आती है तो जनता को 500 रुपये में सिलेंडर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन खत्म होगी और 25 लाख रुपए का इलाज नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा में स्वार्थ हावी है और वह सत्ता प्राप्ति की सोचते हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा एक बिखरी हुई पार्टी है, जिसमें एकजुट होने का नामोनिशान नहीं है।

- **पीएम पर तंज कसा, ''वे कहते हैं कि मेरे नाम पर वोट दें, तो क्या वो पीएम का पद छोड़कर सीएम बनने वाले हैं''**
- **नया नारा भी दिया, ''इनका काम है, गरीबों से खींचना और उद्योगपतियों को सींचना''**

प्रियंका खुद राजस्थान में भ्रष्टाचार की स्टेक होल्डर : पूनावाला

जयपुर, (का.सं.)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपने सियासी पर्यटन पर राजस्थान आई थी, और यह कोई नई बात नहीं है। अपने परिवार सहित रणथंबौर तो वे अक्सर आती रहती हैं बस उन्हे दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं और गैंगरेप की शिकार नाबालिग नजर नहीं आती। आज भी प्रियंका गांधी बिना तथ्यों के डिजाइन बॉक्स द्वारा पकड़ाई पर्ची को पढ़कर अपना भाषण पूरा करके चली गई, अच्छा होता प्रियंका गांधी प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और किसानों की भी सुध लेती। राजस्थान में साढ़े चार साल लूट, झूठ और फूट की सरकार चली है जिस पर प्रियंका गांधी एक शब्द नहीं बोलती। राजस्थान में तो प्रियंका गांधी खुद भ्रष्टाचार की स्टेक होल्डर हैं, उनके परिवार ने बीकानेर में किसानों की जमीनें हड़पने का काम किया जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है।

- **'बीकानेर में किसानों की जमीनें हड़पने का चल रहा केस'**

पूनावाला ने कहा कि आज से साढ़े तीन साल पहले प्रियंका गांधी ने उत्तरप्रदेश में एक नारा दिया था ''लड़की हूं, लड़ सकती हूं'' इस नारे के लिए जो पोस्टर गर्ल बनाई गई थी उस लड़की ने भी पीड़ित होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। आज राजस्थान में महिलाएं कैंपेन चला रही हैं और प्रियंका गांधी से सवाल कर रही हैं कि आपने उत्तरप्रदेश में नारा दिया था लेकिन, क्या राजस्थान में भी ''लड़की हूं, बच सकती हूं'' का नारा चलेगा।

'प्रियंका से जनता पूछ रही भ्रष्टाचार पर कब बोलेंगी'

जयपुर। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और जंगलराज को लेकर भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगलराज और अपराधीकरण ने पांच वर्ष में प्रदेष को शर्मशार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीते पांच साल में कुशासन और भ्रष्टाचार को ही अपना प्रमुख एजेंडा माना है, जिसके चलते राजस्थान विकास में पिछड़ता चला गया।

वर्मा ने कहा कि आज सिकराय (दौसा) में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी आज राजनैतिक भ्रमण पर आ रही हैं। मेरा उनसे सवाल है कि क्या आज वे इस रैली में जनता के सवालों का जवाब देंगी? यह सवाल मेरा नहीं प्रदेश की जनता का है कि, प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसमें पेपर लीक, जल जीवन मिशन घोटाले, मनरेगा कार्यों और योजना भवन के डीओआईटी विभाग की अलमारी में मिली करोड़ों की नगदी और सोने के बिस्किट किसके थे?

'प्रदेश में एक दर्जन से अधिक किसानों ने की आत्महत्या'

जयपुर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी ने एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य में फसल खराबे पर मुआवजे तथा कर्जमाफी की आस लगाए एक दर्जन से अधिक किसानें ने आत्महत्या कर ली लेकिन राज्य सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं किया। राज्य में 19 हजार किसानों की जमीन नीलाम कर दी गई वहीं चुनावी आहट देखकर चेते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आचार संहिता से ऐन पहले किसान ऋण राहत आयोग का गठन कर किसानों का एक बार फिर धोखा दिया है।

प्रियंका का दौरा जनता के घावों पर नमक छिड़कने वाला : सी.पी.जोशी

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दौसा में प्रियंका वाड्रा के दौरे पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका वाड्रा का भाषण अशोक गहलोत सरकार के कुशासन, अकर्मण्यता, अपराध, भ्रष्टाचार से पीड़ित प्रदेश की जनता के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। अपने भाषण में केंद्र सरकार की आलोचना और गहलोत सरकार की प्रशंसा के अलावा उन्होंने कोई नई बात नहीं की। गहलोत सरकार ने जिन योजनाओं के आंकड़े लिख कर दिए उन्हें पूरे जोश के साथ बोल दिया। यह तो पता करना चाहिए कि उन योजनाओं का लाभ कितने दिन और कितने लोगों तक पहुंचा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से दुष्कर्म से पीड़ित महिलाएं और बच्चियां न्याय की पुकार कर कर रही हैं, आखिर उन्हें कब न्याय मिलेगा। उनके आंसू कब पौंछे जाएंगे। पूरे पांच साल में क्यों प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य उनका हाल जानने क्यों नहीं आया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रियंका वाड्रा द्वारा देवनारायण भगवान मंदिर में चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि प्रियंका वाड्रा ने भक्त और भगवान दोनो का ही अपमान किया है। इस प्रकार की बात करना तुष्टिकरण की राजनीति का ही एक हिस्सा है, कांग्रेस हमेशा से ही ऐसा करती आई है।

गांधी परिवार के भाई-बहन कितने भी हाथ-पैर मार लें, अब कांग्रेस का सफाया होना तय है : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर, (का.सं.)। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि दौसा के सिकराय में ईआरसीपी को लेकर आयोजित सभा में राजनीतिक पर्यटक की भांति आई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ईआरसीपी को लेकर जनता को भ्रमित करने का काम किया है। सभा में प्रियंका गांधी ने जनता को यह नहीं बताया कि 23 जनवरी को राज्यपाल अभिभाषण के पैरा 170 में सरकार ने वर्ष 2051 तक इस परियोजना को पूरा करने की बात क्यों कही थी? बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री ने 37 हजार करोड़ की इआरसीपी परियोजना को पूरी करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 2023-24 का बजट भी आ गया लेकिन इआरसीपी धरातल पर क्यों नहीं आई? सरकार ने इआरसीपी की तकनीकी खामियों को दूर क्यों नहीं किया और इआरसीपी को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनो से पूरा करने के वादे का क्या हुआ ?

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में राजस्थान में कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वयं को दिखाते हुए नजर आये। 25 सितंबर 2022 को जयपुर में सोनिया गांधी के भेजे गये दूतों का अपमान करके और अपने मंत्रियों व साथी विधायकों से परेड करवाकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस आलाकमान को आंख दिखाई थी और आज प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को वोट देने की बजाय स्वयं का गुणगान करना गहलोत जी की हिटलरशाही और ओछी राजनीति को दर्शाता है। यही कारण है कि विज्ञापनों में भी वह सिर्फ स्वयं का चेहरा ही दिखाते हैं।

नड्डा के खिलाफ दायर मानहानि परिवाद खारिज

जयपुर, (का.सं.)। महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 ने भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर राहुल गांधी को रावण की संज्ञा देने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आईटी सेल के नेशनल हैड अमित मालवीय के खिलाफ पेश मानहानि परिवाद को खारिज कर दिया है। अदालत ने जसवंत गुर्जर के परिवाद को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट उस व्यक्ति के परिवाद पर ही प्रसंज्ञान ले सकता है जो व्यथित हो। परिवाद देखने से स्पष्ट है कि वह राहुल गांधी पर निजी तौर पर की गई टिप्पणी है और यह स्थापित सिद्धांत है कि जिसकी प्रतिष्ठा की हानि हुई है, वह व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 199 के तहत परिवाद दायर कर सकता है। इस मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि जिन राहुल गांधी पर मानहानि की टिप्पणी की गई है वह परिवाद पेश करने में असमर्थ हो। ऐसे में परिवादी खुद व्यथित की श्रेणी में नहीं आता है और वह धारा 500 के तहत परिवाद पेश करने के लिए सक्षम नहीं है। अदालत ने कहा कि परिवाद में आईपीसी की धारा 504 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जबकि परिवाद में ऐसा कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि इस कृत्य से राहुल गांधी लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करने के लिए प्रकोपित हों। ऐसे में कोर्ट इस परिवाद पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और इसे दाखिल दफ्तर किया जाए।

परिवाद में जेपी नड्डा व अमित मालवीय पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि सनातन धर्म का अपमान करते हुए भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई है। जिसमें राहुल गांधी की सात सिर वाली फोटो के साथ ही नए युग का रावण बताया गया है। इससे ना केवल कांग्रेस पार्टी का अपमान हुआ है, बल्कि परिवादी की भी मानहानि हुई है। इसलिए परिवाद पर आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाए।

तिल-तिल कर मरने को मजबूर आमजन : पंकज मीणा

जयपुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा कि राज्य में चिरंजीवी योजना को मील का पत्थर बताने वाली सरकार की आंखो के सामने ही निजी अस्पतालों में मरीजों का शोषण हो रहा है और इलाज के नाम पर मरीजों से भारी वसूली की जा रही है। चिरंजीवी के नाम पर दम भरने वाली सरकार के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री आज तक यह नहीं बता पाए है कि इस योजना के तहत इलाज नहीं करने वाले कितने निजी अस्पतालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। यहीं हाल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई आरजीएचएस योजना का भी है। निजी अस्पताल इस योजना के तहत इलाज करने को ही तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं कई अस्पतालों ने तो इन योजनाओं के माध्यम से ही कमाई का रास्ता खोज निकाला है। मॉनीटरिंग के अभाव में ये योजनाएं आमजन को राहत देने के स्थान पर आहत कर रही है।

मीणा ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए ये योजनाएं सिर्फ कमाई का साधन बनकर रह गई है। यहीं हाल सरकारी अस्पतालों का भी है, राज्य में इन दिनों मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस के साथ ही चिकनगुनिया ने कहर ढा दिया है लेकिन अस्पतालों में इनके इलाज के लिए माकूल व्यवस्थाएं नहीं है। पूरे पांच वर्षों तक मुख्यमंत्री राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार काम होने का ढोल पीटते रहे लेकिन कभी भी यह नहीं बता पाए कि आखिर काम क्या हुआ है।

सरकारी अस्पतालों में जांच और जांच पर्ची मुफ्त कर दी गई लेकिन इनकी लाइन इतनी लंबी है कि समय पर इलाज की पर्ची ही नहीं मिल पा रही है। जांच के मामले में भी यहीं हाल है, जांच के लिए लंबी लाइन के चलते मरीजों को सरकारी अस्पतालों के बाहर निजी जांच लैब पर जांच करवानी पड रही है।

- **'निजी अस्पतालों में लुट रहे हैं मरीज, चिरंजीवी के नाम पर सरकार ने किया धोखा'**

श्रद्धांजलि

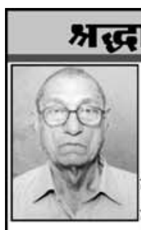

हमारे पूजनीय **श्री जीतन प्रसाद जी** का निधन 14.10.23 को हो गया है। हम सभी परिवारजन अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रद्धावनत- रामअवतार जी, राजाराम (भ्राता), केशव प्रसाद, अंगद प्रसाद, अशोक, कृष्णा, राघव, जितेन्द्र एवं समस्त पाल परिवार।

भावभीनी श्रद्धांजलि

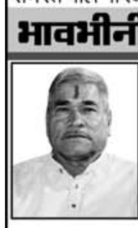

हमारे पूजनीय **श्री हनुमान प्रसाद जी सौंखिया** के निधन पर हम सभी नम्र आंखों से श्रद्धासुमन अर्पित करते है।

श्रद्धावनत- सुनीता- कमलेश जसोरिया, गीता- स्व. श्री श्रीकृष्ण जसोरिया, सीता- रामचंद्र खटोडिया, उर्मिला- विशम्भर दयाल घीया, सन्तोष- रमेश चंद्र घीया, प्रमिला- नेतराम सामरिया, अन्जु- रामबाबू रावत, अनिता- कमला प्रसाद नाटाणी, मीनाक्षी- सुशील बडाया, ममता- श्याम आकड

तीये की बैठक

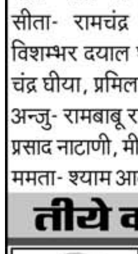

अत्यंत दुःख से सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री हनुमान प्रसाद जी सौंखिया** पुत्र स्व. श्री रामनारायण सौंखिया का स्वर्गवास 19.10.2023 को हो गया है। तीये की बैठक 21.10.2023 को सांय 4:00 से 5:00 स्थान- चित्रकूट पार्क, नगर निगम कॉलोनी, आमेर रोड़, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- मुन्नी देवी (धर्मपत्नी), ओमप्रकाश (भ्राता), श्याम, राम, गोपाल (पुत्र), राजेश (भतिजा), अर्क (पौत्र),अन्जु- रामबाबू रावत (बेटी-जंवाई) समस्त सौंखिया परिवार मोतीवाडा वाले। फर्मः- श्याम एन्टरप्राइजेज, श्याम ट्रेडिंग कम्पनी 9414251334, 9314521614 ससुराल पक्ष- कांता- ओमप्रकाश भगत, गोविन्द, अंशुल

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

जविप्रा की योजना कल्पना नगर के भूखंड संख्या एच-190 का आवंटन पत्र कहीं खो गया है मिलने पर संपर्क करें। जगदीश शर्मा मो. 9950662766

मेरे आवास संख्या सेक्टर-29-E/45, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सम्पर्क करें। 9406208519

राजस्थान आवासन मण्डल वृत-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः 11501 आम जाहिर सूचना दिनांकः 20.10.2023
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 12/04 (LIG), (एरिया 68.250 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री पाबूदान सिंह शेखावत पुत्र श्री गैंदा सिंह को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2857 दिनांक 07.12.2007 को जारी किया गया। श्री पाबूदान सिंह शेखावत की मृत्यु दिनांक 24.09.2014 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती सरोज कंवर पत्नी स्व. श्री पाबूदान सिंह शेखावत द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्रीमती सरोज कंवर पत्नी स्व. श्री पाबूदान सिंह शेखावत का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम विनिश कुमावत से बदलकर विनिश कुमार पुत्र गोपाल लाल रख लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता-ई-265-ए, लालकोठी स्कीम, जयपुर-302015

मैंने अपना नाम Kratik से बदलकर Kratik Jarwal S/o Gyanesh Jarwal निवासी 101 बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर रख लिया है। भविष्य में मुझे Kratik Jarwal के नाम से जाना जावें।

मेरा नाम गजानंद बागडा पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण बागडा है मेरे नाम से एल.आई.सी. की पॉलिसी नं. 194338122 है जिसमें मेरा नाम गजेन्द्र कुमार बागडा है, दोनों नाम मेरे है मेरे द्वारा मेरा नाम बदलकर गजानन्द बागडा रख लिया है। भविष्य में मुझे उक्त नाम से जाना जावें। ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

मैं मनोज कुमार गौड पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गौड मैंने अपना नाम मनोज कुमार शर्मा से बदलकर मनोज कुमार गौड रख लिया है भविष्य में मुझे मनोज कुमार गौड के नाम से जाना पहचाना जावें। पता 173/51 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

आम सूचना- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मेरे मुवक्किल वीरेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह गुर्जर निवासी 122, फ्लेट नंबर 202, रोड्राम नगर पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर, जयपुर का बेटा लोकेन्द्र सिंह गुर्जर व बहू मीनाक्षी मेरे मुवक्किल व उसके परिजन के कहे में नहीं है, यह दोनो पति-पत्नी मेरे मुवक्किल, उसकी पत्नी श्रीमति कमलेश व पुत्री अंजू को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित करते है। अतः मेरे मुवक्किल वीरेंद्र सिंह गुर्जर अपने बेटे लोकेन्द्र सिंह गुर्जर व उसकी पत्नी मीनाक्षी को अपनी समस्त चल और अचल संपति से बेदखल करता है मेरे मुवक्किल ने अपने बेटे लोकेन्द्र सिंह गुर्जर व बहू मीनाक्षी को करीब 9 माह पूर्व ही घर से निकाल चुका है, अतः आम जन को सूचित किया जाता है की कोई भी व्यक्ति, संस्था मेरे बेदखल किये हुए बेटे लोकेन्द्र सिंह गुर्जर व बहू मीनाक्षी से किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन व अन्य सम्बन्ध ना रखें अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरे मुवक्किल वीरेंद्र सिंह गुर्जर की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जयपुर, दिनांक: 20.10.2023 (लक्ष्मीकांत शर्मा) अधिवक्ता, मो.: +91-9414335553

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री धर्मराज पुत्र स्व. श्री महेश चन्द्र निवासी प्लाट नंबर 266, विद्युत नगर-ए, प्रिंस रोड, अजमेर रोड जयपुर की पुत्री प्रतिभा जो तलाकशुदा है, कहे में नहीं है, उनसे झगड़ा-फसाद करती है, सम्पत्ति हड़पने के लिए दबाव बनाती है, प्रतिभा के व्यवहार से काफी तंग आ चुका है, अतः प्रतिभा से रिश्ते समाप्त कर अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, साथ ही प्रतिभा का उनके निवास स्थान में किसी प्रकार का आश्रय लेने का हक नहीं रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का कार्य व्यवहार, लेन-देन करता है वह स्वयं ही उसका जिम्मेदार होगा। मेरा अभिभाष्य उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दिनांक: 17.10.2023
अरुण कुमार कुमावत एडवोकेट मो: 9571972352

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2105 दिनांक-20.10.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 67/42 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री डॉ. सी.एल. अरोड़ा पुत्र स्व. डॉ. चमन लाल अरोड़ा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 310 दिनांक 21.01.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 29.02.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1217 दिनांक 29.11.1990 के द्वारा श्री डॉ. सी.एल. अरोड़ा पुत्र स्व. डॉ. चमन लाल अरोड़ा के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 7185 दिनांक 19.11.1988 के द्वारा श्री डॉ. सी.एल. अरोड़ा एवं श्रीमती कमलेश अरोड़ा का संयुक्त नाम से किया गया। डॉ. सी.एल. अरोड़ा एवं श्रीमती कमलेश अरोड़ा के द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 16.07.1991 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती कमलेश अरोड़ा की मृत्यु दिनांक 19.02.2022 को हो जाने के कारण इनके पति डॉ. सी.एल. अरोड़ा पुत्र स्व. डॉ. चमन लाल अरोड़ ने 1/2 अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक डॉ. सी.एल. अरोड़ा पुत्र स्व. डॉ. चमन लाल अरोड़ा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जयपुर जिला-जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरूद्ध
106/10/10/2023 **मैसर्स शिवम फोटो स्टूडियो एवं अन्य**
वाद बाबत - वसूली 3,47,165.59/-रूपये
वाद संख्या - 231 सन् 2019
दावा रजिस्टर वाद संख्या - 57/19
बनाम (1) मैसर्स शिवम फोटो स्टूडियो कार्यालय पता : दुकान संख्या 13, प्रथम तल, फ्लाई ओवर पैट्रोल पम्प के पास, सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर एवं मकान संख्या 23, कृष्णा नगर, राधा मोहनजी का मन्दिर के बराबर, इमली वाला फाटक, जयपुर-302015, जरिये प्रोपराईटर श्रीमती ममता शर्मा। 2. श्रीमती ममता शर्मा पत्नि श्री कपूर चन्द शर्मा, प्रोपराईटर मैसर्स शिवम फोटो स्टूडियो कार्यालय एवं निवास पता : दुकान संख्या 13, प्रथम तल, फ्लाई ओवर पैट्रोल पम्प के पास, सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर एवं मकान संख्या 23, कृष्णा नगर, राधा मोहनजी का मन्दिर के बराबर, इमली वाला फाटक, जयपुर-302015, वादी बैंक ने आपके विरूद्ध वसूली के लिए वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 12 सन् 2023 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज को आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई तारीख को न्यायालय में उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 10 माह 10 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। रीडर
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
(सील) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला-जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2106 दिनांक-20.10.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 94/181 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री रोहिताश्व यादव पुत्र श्री हरिनारायण यादव को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4617 दिनांक 21.03.1991एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 14 दिनांक 03.04.1991 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 13.01.1992 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 696 दिनांक 26.06.2014 के द्वारा श्री रोहिताश्व यादव पुत्र श्री हरिनारायण यादव के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 09.10.2014 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री रोहिताश्व यादव की मृत्यु दिनांक 28.12.2017 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती रतन कला यादव पत्नी स्व. श्री रोहिताश्व यादव ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती रतन कला यादव पत्नी स्व. श्री रोहिताश्व यादव के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102994 दिनांक: 20/10/2023

लोक सूचना

श्रीमती विनोद रानी मेहरडा पत्नी श्री बनवारी लाल मेहरडा 4-क-24, जवाहर नगर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	मुहाना, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती विनोद रानी मेहरडा पत्नी श्री बनवारी लाल मेहरडा 4-क -24, जवाहर नगर, जयपुर।	1836	17100	1.71
			1837	1200	0.12
			1850	600	0.06
			1851	1500	0.15
				कुल	2.04

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20.10.2023 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद
मु.सीकर जिला सीकर
विजेन्द्र सिंह बनाम शिशराम रणवां आदि
मु.नं.74/2021
दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
बनाम प्रतिवादी संख्या 8. बजरंगसिंह पुत्र पेपसिंह, 9. मोहनसिंह पुत्र पेपसिंह, 10. रघुवीरसिंह पुत्र पेपसिंह जाति राजपूत निवासी दुजोद जिला सीकर हाल दूजोद वाले, रामलीला मैदान के पास सीकर, प्रतिवादी संख्या 23. अछन कंवर पुत्री केशरसिंह, 24. दाख कंवर पुत्री केशरसिंह, 25. पेप कंवर पुत्री केशनसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील धोद वर्तमान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर वादी ने आपके विरूद्ध बंटवारे के लिए वाद पंजीकृत किया है। इस न्यायालय में तारीख 17.11.2023 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाना है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें, आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेज का उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उप संजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवायी और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह वाद तारीख 06 माह 10 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(मोहर) उपखण्ड अधिकारी, धोद मु.सीकर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री रमेश चन्द महावर पुत्र गंगा बक्स, उम्र 62 वर्ष, जाति महावर, निवासी-2820 चौकडी, तोपखाना, हजूरी कोठी कॉलोनी गंगामाता मंदिर के पास जयपुर। यह कि मेरा पुत्र प्रेम चन्द व पुत्रवधू सन्तोष महावर मेरे कहने में नहीं हैं इनका व्यवहार मेरे व मेरी पत्नी के प्रति ठीक नहीं है इसलिए मैं अपनी समस्त चल-अचल एवं पैतृक सम्ति से इनको बेदखल करता हूं। यदि कोई व्यक्ति/संस्था इनसे लेनदेन या व्यवहार करते हैं वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसमें मेरे अभिभाष्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। सूचित रहे।
जयपुर (महेश सुवालकी) एडवोकेट
दिनांक-20.10.2023 मो.नं. 8562018053

आम सूचना ग्राम सीतापुर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 3416 रकबा 6.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3434 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3438 रकबा 1.73 हैक्टेयर में से 3/8 दर हिस्सा 1/4 की खातेदारी आशा देवी, मन्जू देवी व अनीता पुत्रियाँ बाबूलाल जाति महाजन के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसे उनकी माता बरफी देवी पत्नी बाबूलाल द्वारा नोटेरी से प्रमाणित मुख्त्यारनामा आम दिनांक 17.01.2013 के माध्यम से श्री गणेशम बिल्ड डवलपर्स प्रा.लि. को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 08.02.2013 विक्रय किया गया तथा तदउपरांत श्री गणेशम बिल्ड डवलपर्स प्रा.लि. द्वारा उक्त भूमि श्री रामराधव इको मिल्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय बी-1, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलोनी रोड, जयपुर को विक्रय की गई है। श्री रामराधव इको मिल्स प्रा.लि. द्वारा मेरी अभिभाष्य आईसीआईसीआई बैंक के समक्ष ऋण प्राप्ती हेतु आवेदन किया गया है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भ में किसी भी तथ्य को लेकर किसी को कोई आपत्ति हो तो आज से सात दिवस में मय दस्तावेज मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर अपना लिखित जवाब/पक्ष पेश करें। बाद गुजरने मियाद मेरी अभिभाष्या द्वारा उपरोक्त संपति पर अपने ग्राहक श्री रामराधव इको मिल्स प्रा.लि. को ऋण सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति आदि द्वारा मियाद के बाद की गई आपत्ति सीरे से खारिज कर दी जायेगी एवं आपत्तिकर्ता को मेरी अभिभाष्या के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
दिनांक-19.10.2023 दीपक सोनी, एडवोकेट मो. 8766622266

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना
व.मं.बि.इंजी. (टीआरडी), उ.प.रे., जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **क्र.सं.1. एनआईटी संख्याः** ईएल- टीआरडी-जेपी-2023-24-05; **कार्य का नामः** टीआरडी वर्क इन कनेक्शन विथ प्रपोज्ड 02 नम्बरस क्रॉसओवरस (अप-डाउन मेन लाईन जयपुर एण्ड फुलेरा एंड) एण्ड कॉमन यूजर ओवर-रन 200 मीटर लाइन-1 फुलेरा एंड एट धनक्या यार्ड आफॅ जयपुर डिविजन। **अनुमानित लागतः** 87,67,001.60; **बिड सिक्युरिटि राशि (रु):** 1,75,400.00; **निविदा खोलने की तिथिः** 10.11.2023; **नोटः ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समयः** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक; **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समयः** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे बाद; **सम्पूर्ण जानकारी के लिये वेबसाइट का पताः** http://www.ireps.gov.in
1115-AN/23
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

1517/27/9/23
उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 268/23
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।
प्रार्थी-नाम श्रीमती अलका मित्तल पुत्री स्व. रामनिरंजन अग्रवाल जाति महाजन विवाद स्थान 2/138 विद्याधर नगर, जयपुर
मृतक रामनिरंजन अग्रवाल की चल सम्पत्ति (शेयर्स) के विषय में
पेशी दिनांक - 22.11.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रामनिरंजन अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीप्रसाद अग्रवाल जाति महाजन निवासी 323, सेक्टर-8, विद्याधर नगर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 22 माह 11 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 27 माह 9 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
वरिष्ठ मुंसरिम
(मुहर) जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

आम सूचना दि. 20.10.2023
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मेरे अभिभाष्य श्री हकीम खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी- 51, रहमान की ढाणी, भावगढ़ बन्ध्या, जयपुर, राजस्थान के मालिकाना अधिकार व हक की अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 40, क्षेत्रफल 100 वर्गगज आवासीय योजना रहीम नगर- ए, खोह नागोरियान, जयपुर, राजस्थान में तथा प्लाट नं. 09, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, प्लाट नं. 150, क्षेत्रफल 110 वर्गगज, प्लाट नं. 151, क्षेत्रफल 110 वर्गगज, प्लाट नं. 152, क्षेत्रफल 110 वर्गगज आवासीय योजना केसर वाटिका विस्तार कॉलोनी, खोह नागोरियान, जयपुर, राजस्थान में स्थित है जिन्हे मेरे अभिभाष्य ने किसी भी व्यक्ति संस्था आदि को बेचान नहीं किया है। उक्त सम्पत्ति का स्वामित्व व कब्जा मेरे अभिभाष्य के पास है यदि कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्य के स्वामित्व के उक्त प्लाटों के क्रय-विक्रय का संव्यवहार मेरे अभिभाष्य के अलावा अन्य किसी व्यक्ति, संस्था आदि के साथ करता है तो ऐसा संव्यवहार अवैध व शून्य होगा एवं उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। जिसकी मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा उसके विरूद्ध मेरे अभिभाष्य को कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।
भवदीय अब्दुल हकीम एडवोकेट मो. 9314152785

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण मुरारी लाल सारस्वत पुत्र स्व. श्री हर प्रसाद (मो.8209827553) एवं श्रीमती राकेश सारस्वत पत्नी श्री मुरारी लाल सारस्वत, निवासीयान-114-115-ए, बालाजी विहार-2, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर के पुत्र-पुत्रवधु नितिन सारस्वत-रचना सारस्वत मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं हैं तथा उनका आचरण व व्यवहार मेरे अभिभाष्यगण के विपरीत है, इसलिए मेरे अभिभाष्यगण उन्हें अपने स्वामित्व की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के अधिकारों से बेदखल करते है उनसे अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा। आज के पश्चात कोई भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि मेरे अभिभाष्यगण के उक्त पुत्र-पुत्रवधु से कोई लेन देन एवं सम्बन्ध रखता है तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सूचित रहे।
जयपुर (रूपनारायण लाखरान) एडवोकेट
दिनांक-20.10.2023 मो. 9828326121

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुक्दमा नम्बर 261/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री विजय सोनी निवासी 673, टिक्की वालो का रास्ता, किशनपोल, अंधेरी दरवाजा, जयपुर राजस्थान, ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत राधा गोविन्द कृपा सुख सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, शॉप नं. 379 सैकण्ड फ्लोर, महावीर टॉवर, एम.आई.रोड जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.12.2023
आकाश रंजन
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद
मु.सीकर जिला सीकर
नरपतसिंह बनाम दुर्गा देवी आदि
मु.नं.78/2021
दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
बनाम 2/1 कमला देवी बेवाह मनोहरलाल, 2/2 रामस्वरूप, 2/3 हेमन्त कुमार पुत्रगण मनोहरलाल, 2/4 पूनम पुत्री मनोहर, 3. नानी देवी, 4. मन्नी देवी पुत्रियां गेण्डाराम, 5. द्वारकी देवी बेवाह लालचन्द पुत्र गेण्डाराम, 6. माया देवी, 7. मंजू देवी, 8. सुनिता पुत्रियां लालचन्द पुत्र गेण्डाराम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी तन दूजोद व 9. पदम कंवर पत्नि घनश्याम सिंह, 10. भानु प्रताप सिंह पुत्र घनश्याम सिंह जाति राजपूत निवासी दूजोद, 11. रामेश्वरलाल पुत्र परताराम जाति माली निवासी प्रताप नर्सरी तिलक नगर सीकर, 12. लक्ष्य प्रताप सिंह पुत्र घनश्याम सिंह जाति राजपूत निवासी दूजोद, 13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने, सीकर, 14. रामनिवास पुत्र गेण्डाराम, 18. संदीप पुत्र सांवरमल जाति ब्राह्मण हाल नवसृजित तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर वादी ने आपके विरूद्ध बंटवारे के लिए वाद पंजीकृत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 17.11.2023 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें, आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेज का उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उप संजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवायी और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह वाद तारीख 06 माह 10 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(मोहर) उपखण्ड अधिकारी, धोद मु.सीकर